for website

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय–उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

दूरभाष संख्या 0141–2385522

औद्योगिक / व्यावसायिक / आवासीय इकाईयों की विक्रय सूचना

राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त निम्नलिखित औद्योगिक / व्यावसायिक / आवासीय इकाईयों का **"जहां है–जैसी है"** (भूमि भवन एवं यंत्र–संयंत्र इत्यादि) नकद आधार पर / विलम्बित भुगतान पर विक्रय हेतु मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद	विक्रय हेतु परिसम्पत्तियां	धरोहर राशि (लाख में)
राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, जयपुर (साउथ) रीको बिल्डिंग, EPIP सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दूरभाष नं0. 0141–2770433				
1	मैसर्स कृष्णा विला प्राइम अपार्टमेंट प्रा.लि. खसरा नं. 2002 (पार्ट), 2003 (पार्ट), 2010, 2012, 2017, 2058, 2066, 2067 ग्रुप हाउसिंग प्लाट नं. पार्ट बी व सी एवं कॉर्मशियल प्लाट नं.– I एवं II 160 फिट रोड, ग्राम सिरोली, जगतपुरा, जयपुर।	आवासीय / व्यवसायिक ग्रुप हाउसिंग	आवासीय भूमि–16084.38 वर्ग मीटर व 2294.21 वर्ग मीटर व्यवसायिक – 637.82 वर्गमीटर भूमि 1310.41 वर्ग मीटर भवन –65566 वर्गफीट, 1144 वर्ग फीट, कंक्रीट मिक्सर एल.एस.	27.37
2	मैसर्स ब्लैक बंजारा मोटल, एन.एच 12, जयपुर कोटा रोड, टोंक	मोटल / होटल	भूमि– 3236.25 वर्गगज भवन– 24188 वर्गफीट टैंक नं.3, ट्यूबवेल, स्वागत कक्ष काउण्टर	15.00
3	मैसर्स विजय शर्मा, प्लाट नं. एस–1–66, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर	कामर्शियल रेस्टोरेंट	भूमि – 22.50 स्कवायर मीटर भवन – 1012.85 स्कवायर फिट (लगभग)	2.20
4	मैसर्स रामेश्वर लाल शर्मा, प्लाट नं. एस–1/67, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर.	कामर्शियल रेस्टोरेंट	भूमि – 22.50 स्कवायर मीटर भवन – 1068.43 स्कवायर फिट (लगभग) यंत्र–संयत्र, फर्नीचर, फिक्चर, रसाई उपकरण	2.24
5	मैसर्स रवि कुमार शर्मा, प्लाट नं. एस–1/68, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर	कामर्शियल	भूमि – 22.50 स्कवायर मीटर भवन – 960.47 स्कवायर फिट (लगभग) यंत्र–संयत्र	1.85
राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, उद्योग भवन, रीको चौक, भिवाडी दूरभाष नं0. 01493–220939				
6	मैसर्स जागृति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ए – 95(ए) रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, Phase I, भिवाडी	कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स (निगम का अधिग्रहित हिस्सा)	सुपर बिल्ट ऐरिया– 70720 वर्गफीट सेलेबल एरिया– 47209 वर्गफीट	40.22
राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, जयपुर (सेंट्रल), सी–96, जगन पथ, चौमू हाउस, जयपुर दूरभाष नं0. 0141–2369784				
7	मैसर्स मुनीर खान, प्लॉट नं.ए–1–बी, (प्रथम तल) ब्लॉक ए, सूत्रसिद्ध, खासाकोठी सर्किल, बनीपार्क जयपुर	होटल	भवन व अन्य सामान (प्रथम मंजिल)	5.00
राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, डी.आई.सी. परिसर, कलेक्ट्रेट सर्किल, आगरा रोड, दौसा दूरभाष नं0. 01427–223547 एवं 223159				
8	मैसर्स हरी ओम इण्डस्ट्रीज, जी1–87, रीको औद्योगिक क्षेत्र, कोलाना (बांदीकुई) तहसील–बसवा, जिला–दौसा	फ्लोर मिल्स	भूमि– 1000 वर्गमीटर भवन– 3240 वर्गफीट यंत्र–संयत्र	1.77
9	मैसर्स विकास प्लास्टिक पाईप इन्डस्ट्रीज, ग्राम ठेकडा, एन.एच.11, बाईपास, तहसील महुआ, जिला दौसा	प्लास्टिक पाईप	भूमि– 764.27 वर्गमीटर भवन– 3340 वर्गफीट एवं यंत्र–संयत्र	2.47
10	मैसर्स गोविंदम ब्रेवरेजेज, दौसा प्लाट नं. जी–1/59, रीको औद्योगिक क्षेत्र, डीडवाना, तहसील लालसोट, दौसा	मिनरल वाटर	भूमि – 1168 स्कवायर मीटर भवन – 6059 स्कवायर फिट (लगभग) यंत्र–संयत्र	3.81
राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, जयपुर (नोर्थ), रोड नं0. 4, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दूरभाष नं0. 0141–2330538				
11	मैसर्स एस.एल इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0.जी–1–83, रीको औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा, जयपुर	सबमर्सिबल पम्पस	भूमि– 501 स्कवायर मीटर, भवन– 3049 वर्गफीट व बाउण्ड्रीवाल एवं यंत्र–संयत्र	2.09

राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, चोपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर दूरभाष नं0. 0151–2200918				
12	मैसर्स श्री श्याम फूड इंडस्ट्रीज, जी–1–23, रीको इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर, खारा, बीकानेर	पापड़	भूमि – 800 स्कवायर मीटर भवन – 5307 स्कवायर फिट	1.86
राजस्थान वित्त निगम, शाखा कार्यालय, जोधपुर–I, न्यू पावर हाउस रोड, मिनी उद्योग भवन, जोधपुर दूरभाष नं0. 0291–2438286				
13	मैसर्स भाटी फूड एग्रो, जैसलमेर जी–23, रीको औद्योगिक क्षेत्र, किशनघाट, जैसलमेर	फ्लोर मिल	भूमि – 1500 स्कवायर मीटर भवन – 1711.50 स्कवायर फिट (लगभग) यंत्र–संयत्र	3.54

क्रम संख्या 1,2,6 एवं 7 की निविदा मुख्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर दिनांक 24.02.2021 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक एवं क्रम संख्या 3,4,5 एवं 8 से 13 की निविदा संबंधित शाखा कार्यालय पर दिनांक 24.02.2021 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक ही प्राप्त की जाएगी एवं तत्पश्चात उसी दिन उक्त इकाइयों की नीलामी की जाएगी। उक्त किसी तिथि पर अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को नीलामी की जायेगी।

किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार तथा अस्वीकर करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

इकाई संख्या 1 की संपत्तियों का विक्रय माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद किया जायेगा।

इकाई संख्या 1 व 6 की आंशिक संपत्ति खरीदने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित है। जिसके लिए धरोहर राशि प्रस्ताव राशि की 5% देय होगी।

इकाई संख्या 6 के क्रेता को कॉमन फैसिलिटी की सुविधा भुगतान के आधार पर उपलब्ध होगी।

GST की दरे क्रय राशि पर नियमानुसार देय होगी।

महाप्रबन्धक (ऑपरेशन्स)
मो0 नं0 94140–97515

2443

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

(अ) इकाई का नाम (जिसकी परिसम्पत्तियां निगम द्वारा विक्रय की जा रही है)

(ब) परिसम्पत्तियों का विवरण

(स) निविदा की तिथि

निविदा की शर्ते (नकद / विलम्बित भुगतान पर)

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर के रूप में जमा करानी होगी । निविदाएं निविदा प्रपत्र रूपये 1000/– फीस के साथ स्वीकार की जावेगी ।
2. इकाई की परिसम्पत्तियॉ "जहां है जैसी है" की स्थिति में बेची जायेगी ।
3. **किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।**
4. (अ) केता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने पर केता को बिकी राशि की 5 प्रतिशत राशि विकय प्रकिया पूर्ण होने पर, पूर्व में जमा कराई राशि समायोजित करते हुए, नकद, चैक अथवा डीडी द्वारा तुरन्त उसी दिन जमा करानी होगी (केवल स्थानीय चैक ही लिए जाऐंगे) ।

   (ब) केता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने की दशा में धरोहर राशि अगर विकय राशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो वह "इनीशियल पेमेन्ट" के पेटे समायोजित कर ली जाएगी ।

   (स) इनीशियल पेमेन्ट और धरोहर राशि के अन्तर की राशि चैक द्वारा भुगतान करने की दशा में विकय पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाएगा कि "बिकी स्वीकृत पत्र चैक का भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रभावी होगा" ।

5. **विकय राशि के भुगतान की प्रकियाः–**

;अ **यदि विकय राशि रूपये 25.00 लाख तक है तो निविदाकर्ता का परिसम्पत्तियां खरीदने का यह प्रस्ताव नकद आधार पर होगा तथा निविदाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण विकय राशि विकय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) जारी होने के 90 दिवस में जमा करानी होगी, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से देय होगा :–**

(i) विकय राशि का 50 प्रतिशत (अरनेंस्ट मनी सहित) केता को विकय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) जारी होने के 30 दिवस की समयावधि में जमा करानी होगी ।

(ii) अग्रिम 25 प्रतिशत राशि अगले माह में जमा करानी होगी । (60 दिवस में)

(iii) शेष 25 प्रतिशत की राशि अगले माह में जमा करानी होगी । (90 दिवस में)

(iv) यदि विकय राशि का 50 प्रतिशत विकय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) के जारी होने के 30 दिवस में जमा नहीं कराई जाती है तो बिकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी तथा धरोहर राशि (अरनेंस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी एवं इकाई की नीलामी पुनः नियमानुसार की जावेगी ।

(v) विकय करार के निष्पादन का समस्त खर्चा केता को वहन करना होगा ।

(vi) विकित इकाई की परिसम्पत्तियों का केता के पक्ष में विकय इकरार का निष्पादन एवं परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा

(ब) **यदि विकय राशि रूपये 25.00 लाख से अधिक है :–**

(i) निविदा की 25ः राशि (पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए) केता को बिकी स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी । आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए बेची गई परिसम्पत्तियो का कब्जा निगम से 30 दिवस के भीतर लेना होगा, अन्यथा केता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी ।

(ii) यदि विक्रय विलंबित भुगतान के आधार पर है तथा विक्रय राशि 25 लाख से 100 लाख रूपये तक है तो केता को विक्रय मूल्य का 25% नगद तथा शेष राशि खरीददार को 11 तिमाही किश्तों में तथा यदि विक्रय राशि 100 लाख से अधिक है तो 19 तिमाही किश्तों में चुकानी होगी जो कि परिसम्पत्तियों पर कब्जा लेने के 6 माह बाद प्रारम्भ होगी।

(iii) शेष विलंबित भुगतान राशि पर नीलामी के समय विद्यमान ----- प्रतिशत की दर से ब्याज विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन बाद अथवा परिसम्पत्तियों के कब्जा लेने के दिन से, जो भी पहले हो, तिमाही किश्तों में देना होगा । केता को विलंबित ऋण का भुगतान "पोस्ट डेटेड चैक" के द्वारा करना होगा । यदि खरीददार इसमें चूक करता है तो नियमानुसार दण्डनीय ब्याज रियायती दर से ....प्रतिशत अधिक, अर्थात्.......... प्रतिशत की दर से देना होगा । इसके अतिरिक्त निगम को राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

(iv) Reset clause for interest rate as per norms shall be applicable.

6. खरीददार को अपनी इकाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना होगा ।

7. केता को रीको लि. के आई.पी.आई बकाया, जे डी ए/स्थानीय निकाय के बकाया से संबंधित बकाया राशि यदि कोई हो तो जमा करानी होगी इस बकाया राशि की जानकारी संबंधित शाखा प्रबंधक/रीको लि./जे.डी.ए / स्थानीय निकाय. से प्राप्त की जा सकती है ।

8. औद्योगिक इकाई के केता को राज्य सरकार के विभाग यथा विद्युत वितरण कम्पनी, वाणिज्यिक कर विभाग, यातायात विभाग, खनिज विभाग, भूमि एवं भवन कर, राज्य एक्साईज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं उद्योग विभाग की बकाया राशि की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

9. भूमि एवं भवन के केता को विक्रय संबंधी दस्तावेजों का निष्पादन राजस्थान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर कराना होगा तथा रजिस्ट्रेशन का व्यय भी केता को वहन करना होगा जो कि उपर्युक्त विक्रय राशि के अतिरिक्त होंगे ।

10. केता यदि इस इकाई के भूमि एवं भवन में कोई प्रदूषण फेलाने वाली इकाई लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारक नियंत्रक मण्डल से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

11. भूमि के लीज होल्ड अधिकार शेष बची हुई अवधि के लिए हस्तान्तरित होंगे ।

12. विलंबित विक्रय के मामले में खरीददार यदि धरोहर राशि (इनीशियल पमेन्ट) 25% से अधिक राशि जमा कराना चाहे तो करा सकता है । ऐसे मामलों में शेष बची हुई विलंबित भुगतान की राशि पर विद्यमान दर से ब्याज की राशि का भुगतान देय होगा । समय पर भुगतान नहीं करने की दशा में नियमानुसार दण्डनीय ब्याज देना होगा।

13. केता को अपनी अच्छी साख के बारे में निगम की संतुष्टि के लिए वांछित सूचना सम्पत्तियों पर कब्जा लेने के पूर्व/करार के पूर्व देनी होगी ।

14. विलंबित भुगतानं आधार के केता को यह सहमति देनी होगी कि निगम इकाई में जब तक ऋण बकाया है, केडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो ऑफ इण्डिया को उससे संबंधित ऋण सूचनाएं उपलब्ध करा सकेगा एवं प्राप्त कर सकेगा ।

15. यदि केता विक्रय करार का निष्पादन किसी फर्म, साझेदारी या कम्पनी के नाम करवाना चाहे तो ऐसी अवस्था में अनुमति के लिए केता को फर्म/कम्पनी में अपना हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रखना होगा और सभी साझेदारों/निदेशकों की साख के बारे में समस्त वांछित सूचना देनी होगी ।

16. विलम्बित भुगतान के आधार पर केता द्वारा इकाई कय करने पर , विलम्बित भुगतान की राशि का एक प्रतिशत राशि (सर्विस चार्ज मय टैक्स) जमा कराने के उपरान्त ही विक्रय पत्र जारी किया जावेगा ।

17. नकद आधार पर केता द्वारा इकाई कय करने पर , रूपये 5000/– का सर्विस चार्ज जमा कराने के उपरान्त ही विक्रय पत्र जारी किया जावेगा । जो कि विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं की जावेगी ।

18. जिस अवधि तक राजस्थान वित्त निगम की ऋण राशि बकाया रहेगी उस अवधि तक परिसम्पत्तियों की पूर्ण राशि का पूर्ण बीमा केता को कराना होगा ।

उक्त शर्तो के अतिरिक्त CRE cases की परिसम्पत्तियों की विक्रय के लिए निम्नलिखित शर्ते ओर लागू होगी :–

19. परिसम्पत्तियों के विलम्बित भुगतान के आधार पर खरीदने पर, खरीददार द्वारा एकल फ्लेट, ऑफिस एवं दुकान की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), विक्रय राशि मे से नियमानुसार राशि निगम में जमा कराने पर ही जारी किया जावेगा ।

2441

20. इकाई स्थल पर यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कार्य है तो उसे संभावित/इच्छुक खरीददार द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से एवं स्वयं के स्तर पर ही नियमितिकरण कराना होगा, जिसके लिए निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार एवं उत्तरदायी नहीं होगा ।

21 The rate of intt shall be reset after every _______ months during the currency of loan after and the Corporation shall charge rate of intt. prevailing at that time or existing rate of interest at that time or existing rate of interest which ever is higher.

22. अन्य शर्तें : ....

नोटः– मैने/हमने नीलामी की सभी शर्तें भलीभांति पढ एवं समझ ली है और नीलामी की सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर है ।

(अ) नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता/व्यक्तियों के नाम एवं हस्ताक्षर

क्रमांक	निविदाकर्ता/व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		

(ब) नीलामी के सदस्य

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

2440

Bid / Offer Form (Rs. 1000/+18%GST=1180)
GST No...
Cash /DD No..............
Receipt No..............
Date: ....

RAJA STHAN FINANCIAL CORPORATION
HO / BO ________________

1. Name of the bidder ____________________
2. Address of bidder ____________________
____
____
____
Phone No.______________
3. Bid for the assets of M/s____________________
____
Date of auction Date____________________
Earnest money as prescribed Rs. ____________________
4. Details of earnest money :
i) Earnest money Rs.____________________
ii) DD / Cash receipt No. ____________________
5. Bid amount for :
i) Composite unit Rs. ____________________
ii) Only for land & building Rs.____________________
iii) Only for plant & machinery Rs. ____________________

We / I offer Rs. ___________ for purchase of assets(indicated above) of above said unit on the terms & conditions as decided by the "Corporation" and on the basis of "**as is where is basis**". We / I have inspected the assets for which bid has been given. Our / My bid is on cash down / deferred payment basis.

Date: _________
Place:

Signature of bidder

2-544

<u>निविदा की शर्तें एवं नियम :</u>

1. निविदा के साथ धरोहर राशि का भुगतान नगद/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-ऑर्डर द्वारा, जो कि राजस्थान वित्त निगम के पक्ष में देय हो, के रूप में किया जाना चाहिये।

2. निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 1,000/--नगद अथवा डी.डी. के रूप में जमा कराने होंगे। निविदाकार द्वारा इकाई की आंशिक सम्पत्ति को खरीदने की दशा में धरोहर राशि प्रस्ताव राशि की 5 प्रतिशत देय होगी।

3. निविदाकार नीलामी की विस्तृत शर्तें संबंधित शाखा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परिसम्पत्तियों का निरीक्षण कार्यालय समय पर कार्यदिवस को संबंधित शाखा प्रबंधक से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

4. रीको लिमिटेड की संस्थागत बकाया राशि, यदि कोई हो तो केता को स्वयं भुगतान करना होगा।

5. मूल ऋणी जिसकी सम्पत्तियों की नीलामी होने जा रही है, को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा नीलामी कार्यक्रम में भाग ले और इकाई की बेहतर कीमत दिलाने में सहयोग करे। ऋणी या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में यह समझा जायेगा कि ऋणी सम्पत्तियों की और अधिक कीमत दिलाने का इच्छुक नहीं है, ऐसी स्थिति में निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उन्हें नोटिस दिये बगैर सम्पत्तियों को सबसे उच्च बोलीदाता को विक्रय कर दे।

6. निगम द्वारा गठित नीलामी समिति प्राप्त बोली के आधार पर इकाई के विक्रय का निर्णय नीलामी दिवस पर, नीलामी स्थान पर ही लेगी एवं नियमानुसार प्रारंभिक/विक्रय राशि अथवा आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करने पर इकाई का कब्जा केता को दे दिया जायेगा।

7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

8. किसी भी इकाई की नीलामी निगम द्वारा बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है।

9. नीलाम की गई इकाई की रजिस्ट्री पर दरें राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होंगी।

10. जी.एस.टी. की दरें कय राशि पर नियमानुसार देय होगी।

– अधिक जानकारी के लिए मुख्यालय अथवा संबंधित शाखा कार्यालय से सम्पर्क करें।

<u>ऋण राशि की अधिकतम सीमा</u> :

एकल स्वामित्व/साझेदारी/सोसायटी	–	8.00 करोड़ रूपये।
कम्पनी	–	20.00 करोड़ रूपये।